

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल लाल स्वर्णकार आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या : 37 / 2023

GCMS NO-2023/37

प्रार्थी

राजेश कुमार जांगिड खादय
सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय वनाग
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी, जैसलमेर।

अप्रार्थी

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 56 वर्ष जाति जैन निवासी वार्ड नं 5 मु.पो. देवीकोट तह. फतेहगढ जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) सुरेश किराणा स्टोर, तह. फतेहगढ जैसलमेर
2. श्री अशोक कुमार संकलेचा पुत्र श्री नेमीचंद निवासी जूना किराडू वाडमेर (मालिक थोक फर्म) संकलेचा ब्रदर्स 17 कृषिमण्डी वाडमेर।
3. श्री रवीशंगर शुक्ला पुत्र मूवालाल निवासी दिधिया बभनी हेठार इलाहाबाद उत्तरप्रदेश 212303 (प्रोडेक्शन मैनेजर व नोमिनी निर्माता फर्म) Goodhealth industrease private LTD Village Gudhola Tehsil Punhana District NUH, Hariyana 122508
4. फर्म :- Goodhealth industrease private LTD Village Gudhola Tehsil Punhana District NUH, Hariyana 122508 (निर्माता फर्म)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (11) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम 2011


उपस्थित :-

1. खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की ओर से सुरेश कुमार उपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक: 03.08.2023

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (11) के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा दिनांक 20.12.2023 को दोपहर 02.30 पीएम पर दौरान निरीक्षणार्थ सुरेश किराणा स्टोर, तह. फतेहगढ जैसलमेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सुरेश किराणा स्टोर, तह. फतेहगढ जैसलमेर पर विक्रेता श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 56 वर्ष जाति जैन निवासी वार्ड नं 5 मु.पो. देवीकोट तह. फतेहगढ जैसलमेर (मौके पर विक्रेता) कारोबार कर रहा था जिसका विक्रेता होना बताया। उसको अपना


न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट


परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खाद्य अनुज्ञापत्र व आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की जिसकी छाया प्रतियां संलग्न है। प्रार्थी ने मौके पर निरीक्षणार्थ दुकान के अन्दर घी (डेयरी बेस्ट) रखा मिला जिसके मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विक्रेता को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5 ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या 5 ए की एक प्रति मौके पर मालिक विक्रेता को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात घी (डेयरी बेस्ट) 01 किलोग्राम के 04 पैकेट नमूने वास्ते तोल कर दिया, जिसके पेटे 2000/- रूपये नगद देकर गवाहन, विक्रेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। खरीद सुदा घी (डेयरी बेस्ट) को चार भागों में विभक्त कर चार खाली शिशियों में डाला तथा वास्ते परीरक्षक फॉर्मलीन की 40-40 बूंद डालकर चारों शिशियों को अच्छी तरह से बंद किए। मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाएं एवं लेबलों पर डीओ कोड एवं सीरियल नम्बर एन-1508 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये। और शिशियों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ जैसलमेर की हस्ताक्षर सुधा पेपर स्लिप एन-1508 नियमानुसार चारों नमूनों पर नीचे से उपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लिप उपर धागे से बांधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मोहर चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद्य पदार्थ का विवरण एन-1508 घी (बेस्ट डेयरी) लिख कर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों भागो को अपने कब्जे में लिया एवं मौके पर मौका फर्ड रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहो को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं मैंने स्वयं ने मौका फर्ड पर हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 06 की 06 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेसन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 06 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को प्रवीण कुमार चौधरी के द्वारा दिनांक 22.12.2022 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म नम्बर 06 की प्रति अलग से लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्यविश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 06 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को दिनांक 20.12.2022 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/934-36 दिनांक 20.01.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला राज. जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./2120/Act/2022/15 दिनांक 04.01.2023 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। जिनकी जांच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/841 दिनांक 12.07.2023 के द्वारा आवेदक खाद्यसुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। उक्त केस में विक्रेता 1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 56 वर्ष जाति जैन निवासी वार्ड नं 5 मु.पो. देवीकोट तह. फतेहगढ जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) सुरेश किराणा स्टोर, तह. फतेहगढ जैसलमेर 2. श्री अशोक कुमार संकलेचा पुत्र श्री नेमीचंद निवासी जूना किराडू बाडमेर (मालिक थोक फर्म)संकलेचा ब्रदर्स I-7 कृषिमण्डी बाडमेर 3. श्री रवीशंगर शुक्ला पुत्र मूवालाल निवासी दिधिया बभनी हेठार इलाहाबाद उत्तरप्रदेश 212303 (प्रोडेक्शन मैनेजर व नोमिनी निर्माता फर्म) Goodhealth industrease private LTD Village Gudhola Tehsil Punhana District NUH, Hariyana122508 4. फर्म :- Goodhealth industrease private LTD Village Gudhola Tehsil Punhana District NUH, Hariyana122508 (निर्माता फर्म) द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (डेयरी बेस्ट) का विक्रय करके खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही गिलावट पर अंकुश लग सकें।

अप्रार्थी सं. 01 से 02 की ओर से प्राप्त जवाब के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अप्रार्थी 01 व 02 ने खाद्य पदार्थ घी (डेयरी बेस्ट) की पैकिंग अवस्था में ही क्रय करता उसी अवस्था में विक्रय करता है। प्रार्थी ने जानबूझकर हेराफेरी नहीं की गयी। भविष्य में ध्यान रखकर विक्रय करने का संकल्प लिया। दोनों पक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया एवं न्यायालय में हाजीर हुआ है। अवलोकन व अनुशीलन किया गया, व प्रार्थी की बहस सुनने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि खाद्यसुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं L.S./2120/Act/2022/15 दिनांक 04.01.2023 अनुसार उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड पाया गया। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर भविष्य में ध्यान रखने का संकल्प लिया। जिससे अप्रार्थीगण पर सबस्टेण्डर्ड स्तर के घी (डेयरी बेस्ट) खाद्य पदार्थ का विक्रय के लिए दोष साबित है। अप्रार्थीगण द्वारा खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना खाद्यसुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, एवं अप्रार्थी 1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 56 वर्ष जाति जैन निवासी वार्ड नं 5 मु.पो. देवीकोट तह. फतेहगढ़ जैसलमेर (विक्रेता एवं मालिक) सुरेश किराणा स्टोर, तह. फतेहगढ़ जैसलमेर 2. श्री अशोक कुमार संकलेचा पुत्र श्री नेमीचंद निवासी जूना किराडू वाडमेर (मालिक थोक फर्म)संकलेचा ब्रदर्स I-7 कृषिमण्डी वाडमेर 3. श्री रवीशंगर शुक्ला पुत्र मूवालाल निवासी दिधिया बभनी हेठार इलाहाबाद उत्तरप्रदेश 212303 (प्रोडक्शन मैनेजर व नोमिनी निर्माता फर्म) Goodhealth industrease private LTD Village Gudhola Tehsil Punhana District NUH, Hariyana122508 4. फर्म :- Goodhealth industrease private LTD Village Gudhola Tehsil Punhana District NUH, Hariyana122508 (निर्माता फर्म) फर्म के सबस्टेण्डर्ड स्तर का घी (डेयरी बेस्ट) खाद्य पदार्थ के सबस्टेण्डर्ड विक्रय में उपयोग के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी सं. 01 से 04 पर 5,000/- अक्षरे पांच हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते हैं कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थीगण एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.08.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(गोपाल लाल स्वर्णकार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जैसलमेर
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर